UPSC Daily Current Affairs 01 Jul 2021

1. इज़रायल और पश्चिम एशिया के बीच संबंधों की एक नई शुरूआत

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, इज़रायल के नए विदेश मंत्री याइर लापिड ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में वृहद् शांति के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।
- पिछले वर्ष देशों द्वारा संबंधों में सुधार के बाद से वे खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले इज़रायली कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने विएना में ईरानी नाभिकीय समझौते के लिए चल रही बातचीत के बारे में इज़रायली चिंता को भी दोहराया।

इज़रायल और पश्चिम एशिया के बीच में हाल ही के घटनाक्रम

अब्राहम समझौता

- इज़रायल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

अब्राहम समझौते के बारे में जानकारी

- यह पिछले 26 वर्षों में पहला अरब-इज़रायली शांति समझौता है जिसकी मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका ने की।
- मिस्र पहला अरब राष्ट्र था जिसने 1979 में इज़रायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और जॉर्डन ने 1994 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- समझौतों के अनुसार, UAE और बहरीन दूतावासों की स्थापना करेंगे, राजदूतों का आदान-प्रदान करेंगे, कई क्षेत्रों में इज़रायल के साथ सहयोग और कार्य करेंगे, जिसमें पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य देखरेख और सुरक्षा शामिल हैं।
- यह पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए इज़रायल में ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने के लिए दरवाजे खोलेगा और जेरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद में शांतिपूर्वक प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करेगा। यह **इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।**

फिलीस्तीन मुद्दा

- यह समझौते फिलीस्तीनी समस्या को मोटे तौर पर बिना सुलझाये ही छोड़ देते हैं।
- द्विपक्षीय तरीके से इज़रायल के साथ अरब देशों द्वारा कूटनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, राष्ट्र के वास्ते फिलीस्तीनी आंदोलन के लिए अरबों का सामूहिक समर्थन अब समाप्त हो रहा है।
- अरब पहल अरब दुनिया और इज़रायल के बीज में संबंधों को सामान्य करने का आह्वान करती है, इसको बदलो में वह कब्जे वाले क्षेत्रों से इज़रायल के पूरी तरह से हटने और फिलीस्तीन देश की स्थापना की मांग करती है।
- लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फिलीस्तीनी सवाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

गैर-अरब मुस्लिम शक्तियां

- इज़रायल-फिलीस्तीन संघर्ष से अरब शक्तियों के हटने से पैदा हुए शून्य को ईरान, तुर्की और उनके सहयोगियों जैसी गैर-अरब मुस्लिम शक्तियों द्वारा भरा जा रहा है।
- भू-राजनैतिक स्थितियों में भले ही परिवर्तन हो रहा हो लेकिन इज़रायल से संबंधित मुख्य मुद्दा सुलझा नहीं है।
- **UAE-बहरीन** के समझौते वस्तुतः क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों की पुष्टि कर रहे हैं।
- US के हटने और तुर्की एवं ईरान द्वारा ज्यादा आक्रमक विदेश नीतियां अपनाने के बाद, अब त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बन रहे हैं।
- इस संघर्ष में सुन्नी शासित अरब देश, जो सभी अमेरिकी सहयोगी हैं, इज़रायल के साथ अपने भूराजनैतिक हितों को संरेखित कर रहे हैं।
- अब्राहम समझौतों से इस संघर्ष के और बढ़ने की संभावना है।

2. अमेरिका काला सागर में ब्रिटेन के साथ रूस के खिलाफ़ गतिरोध में शामिल

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने वाशिंगटन पर एक घटना में शामिल होने का आरोप लगाया जिसमें मास्को द्वारा कब्जाये गए क्रीमिया के तट के पास एक ब्रिटिश विध्वंसक शामिल था।

पृष्ठभूमि

- हाल में, रूस ने काला सागर में एक युद्धक समुद्री जहाज को लेकर ब्रिटेन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और लंदन को चेतावनी दी कि वह रूस द्वारा कब्जाये गए क्रीमिया के तट के पास ब्रिटिश नौसेना द्वारा आगे किसी भड़काऊ कार्रवाईयों का मुंहतोड़ जवाब देगा।

पश्चिमी देशों का विचार

- पश्चिमी देश क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं और इसके चारों के समुद्रों पर रूस के दावों को खारिज करते हैं।

क्रीमिया की प्रोफाइल

- शताब्दियों तक ग्रीक और रोमन प्रभाव के अंतर्गत, 1443 में क्रीमिया तातार खानेट का केंद्र बन गया, जो बाद में ओट्टोमन नियंत्रण में चला गया।
- 1783 में कैथेरीन महान के शासनकाल के दौरान क्रीमिया पर रूसी साम्राज्य ने कब्जा कर लिया और यह 1954 तक रूस का हिस्सा रहा, जब इसे तत्कालीन सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव के तहत यूक्रेन को हस्तांतरित कर दिया गया।
- अधिकांश जनसंख्या जातीय रूसियों की है, लेकिन साथ ही यूक्रेनी और क्रिमियाई तातर अल्पसंख्यकों की संख्या भी काफी है।
- 19वीं सदी के मध्य में विरोधी साम्राज्यवादी महत्वकांक्षाओं की वजह से क्रीमियाई युद्ध हुआ जब ब्रिटेन और फ्रांस जो बाल्कन में रूसी महत्वकांक्षा के प्रति संदेहास्पद थे क्योंकि ओट्टोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, ने सेनाएं भेजीं।
- बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस के भीतर स्वायत्त गणराज्य का दर्जा मिलने के बाद, क्रीमिया पर 1940 के दशक के पूर्वार्ध में नाजियों का कब्जा हो गया।

- रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप छीन लिया और इसके तट के चारों ओर के क्षेत्र को रूसी जलक्षेत्र मानता है।

3. सिनेमेटोग्राफ कानून, 1952

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के एक समूह ने हाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री को 1952 के सिनेमेटोग्राफ कानून के सरकार के प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ एक खुला पत्र लिखा।

पृष्ठभूमि

- हाल में, केंद्र ने जुलाई 2 तक सामान्यजन द्वारा टिप्पणियां करने के लिए **सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021** के प्रारूप को जारी किया।

सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021 के प्रमुख प्रावधान

प्रमाणीकरण का संशोधन

- यह प्रावधान अनुच्छेद 5B(1) के उल्लंघन (फिल्मों के प्रमाणीकरण में निर्देशन के लिए सिद्धांत) की वजह से केंद्र को संशोधनात्मक शक्तियां प्रदान करता है और उसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा स्वीकृत की गई फिल्मों की पुनर्जांच करने में सक्षम बनाता है।
- वर्तमान का कानून, अनुच्छेद 6 में, केंद्र को फिल्म के प्रमाणीकरण के संबंध में प्रक्रियाओं को दर्ज करने के लिए सक्षम बनाता है।

आयु आधारित प्रमाणीकरण

- यह प्रारूप आयु आधारित श्रेणीकरण और वर्गीकरण को लागू करने का प्रस्ताव रखता है।
- वर्तमान में, फिल्मों को निम्नलिखित श्रेणियों में प्रमाणीकृत किया जाता है —
  a. 'U' बिना सीमा वाले सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए;
  b. 'U/A' जिसमें 12 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता के दिशा-निर्देश की जरूरत होती है;
  c. 'A' वयस्क फिल्मों के लिए
  d. S: विशेषीकृत समूह के लोगों तक सीमित, जैसे कि इंजीनियर, चिकित्सक अथवा वैज्ञानिक

- नया प्रारूप और आयु आधारित समूहों में श्रेणियों को विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है: U/A 7+, U/A 13+ and U/A 16+.
- यह फिल्मों का प्रस्तावित आयु वर्गीकरण स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को ध्वनित करता है।

पाइरेसी के खिलाफ प्रावधान

- वर्तमान में, फिल्म पाइरेसी को रोकने के लिए कोई सक्षम करने वाले प्रावधान नहीं हैं। उल्लंघन करने पर कारावास और अर्थदंड हो सकता है।

शाश्वत प्रमाण

- यह सदैव के लिए फिल्मों को प्रमाणीकृत करने का प्रस्ताव रखता है। वर्तमान में CBFC द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र केवल 10 वर्षों के लिए वैध है।

संबंधित सूचना

- हाल में, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने फिल्म प्रमाणीकरण अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) को भी भंग कर दिया।

फिल्म प्रमाणीकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में जानकारी

- FCAT एक वैधानिक निकाय था जिसका गठन 1983 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका गठन सिनेमेटोग्राफ कानून, 1952 के अनुच्छेद 5डी के अंतर्गत किया गया था।
- इसका मुख्य कार्य सिनेमेटोग्राफ कानून के अनुच्छेद 5सी के तहत दायर अपीलों को सुनना था, यह प्रमाणीकरण के लिए आवेदक द्वारा था जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (CBFC) के निर्णय से पीड़ित होते थे।

सदस्य

- न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और इसके चार अन्य सदस्य होते थे, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक सचिव होता था।

मुख्यालय

- न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में था।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में जानकारी

- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) एक वैधानिक फिल्म प्रमाणन निकाय है जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है।

सदस्य

- इसमें एक अध्यक्ष और 23 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती है।

कार्य

- इसका कार्य सिनेमेटोग्राफ कानून 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करना है।
- सिनेमाहाल और टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली फिल्मों को केवल बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही भारत में सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
- भारत में, यदि फिल्मों को थियेटर में, टेलीविज़न पर अथवा किसी भी तरीके से सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना है तो उनके पास CBFC का प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
- CBFC किसी फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इंकार भी कर सकती है।

4. वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020

(विषय-सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- आंतरिक सुरक्षा, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस)

खबरों में क्यों है?

- वैश्विक साइबरसुरक्षा सूचकांक (GCI) को हाल में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा जारी किया गया है।

वैश्विक साइबरसुरक्षा सूचकांक के बारे में जानकारी

- GCI आकलन साइबरसुरक्षा के पांच मानदंडों पर प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है जिसमें निम्न शामिल हैं
    a. कानूनी उपाय
    b. तकनीकी उपाय
    c. सांगठनिक उपाय
    d. क्षमता विकास
    e. सहयोग
- प्रदर्शन को तब संपूर्ण स्कोर में एकत्रित किया जाता है।
- पांच पहलुओं में से प्रत्येक में, सभी देश के प्रदर्शन और प्रतिबद्धताओं को एक प्रश्न आधारित ऑनलाइन सर्वेक्षण के द्वारा आकलित किया गया, जिसने समर्थन देने वाले प्रमाण के संग्रहण के लिए और भी अनुमति दी।
- विशेषज्ञों के एक समूह के साथ गहरी सलाह के द्वारा प्रश्नों को तब तौला और आकलित किया गया, जिससे संपूर्ण स्कोर तक पहुँचा जा सके।

प्रमुख खास बातें

वैश्विक रैंकिंग

- US सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद UK और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर हैं, जबकि सूचकांक में तीसरा स्थान इस्टोनिया का है।

भारत और सूचकांक

- भारत वैश्विक साइबरसुरक्षा सूचकांक में पहले 10 देशों में शामिल है।
- भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चौथा स्थान हासिल किया है, जो उसके साइबरसुरक्षा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- भारत के लिए GCI के परिणाम साइबरसुरक्षा क्षेत्र के सभी मानदंडों के अंतर्गत संपूर्ण सुधार और मजबूती को दर्शाते हैं।
- अधिकतम 100 बिंदुओं में भारत को कुल 97.5 बिंदु हासिल हुए, जिससे वह GCI 2020 में पूरे विश्व में दसवें स्थान पर आ गया।

साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

अंतरराष्ट्रीय पहलें

a. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ

- यह संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक विशेषीकृत एजेंसी है जो दूरसंचार के मानकीकरण और विकास और साइबर सुरक्षा मुद्दों में एक अग्रणी भूमिका निभाती है।
- इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में 17 मई 1865 को हुई थी, जिससे यह वर्तमान में प्रचालित सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक बन जाता है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

सदस्यता

- ITU के वैश्विक सदस्यता में 193 देश और लगभग 900 व्यवसाय, अकादमिक संस्थान, और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं।

b. साइबर अपराध पर बुडापेस्ट संधि

- यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य बैठाकर, जांच की तकनीकों में सुधार करके, और देशों के बीच में सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध (साइबरअपराध) से निपटना है।
- यह 1 जुलाई 2004 को प्रभाव में आई।

- **भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**

c. इंटरनेट शासन मंच (IGF)

- यह सभी हितधारकों को एक स्थान पर लाता है अर्थात सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को इंटरनेट शासन चर्चा पर।
- इसका पहली बार आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2006 में किया गया।

कानून और भारत की साइबर सुरक्षा तैयारी

a. सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000

- यह कानून कंप्यूटरों के प्रयोग, कंप्यूटर प्रणालियों, कम्प्टूर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आंकड़ों और सूचना का विनियमन करता है।
- अन्य चीजों के अतिरिक्त कानून निम्न को अपराधों के रूप में सूचीबद्ध करता है:
  1. कंप्यूटर के स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़
  2. कंप्यूटर प्रणाली की हैकिंग
  3. साइबर आतंकवाद का कार्य, अर्थात देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता अथवा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक सुरक्षित प्रणाली तक पहुँचना।
  4. कंप्यूटर स्रोत इत्यादि का प्रयोग करके बेईमानी करना।

b. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013

- इसका लक्ष्य साइबरस्पेस में सूचना और सूचना अवसंरचना को सुरक्षित करना, साइबर खतरों को रोकने और जवाब देने की क्षमता का निर्माण करना, कमजोरियों को घटाना और साइबर से क्षति को न्यूनतम करना है।

रणनीति

1. **CERT-IN-**राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जिसका कार्य जब भी कंप्यूटर सुरक्षा घटनाएं हो उन्हें प्रतियुत्तर देना है।

2. सभी निजी और सार्वजनिक संगठनों में **केंद्रीय सूचना सुरक्षा अधिकारी।**

c. भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (I4C)

- भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (14C) का हाल में सरकार द्वारा अनावरण किया गया।
- इसका गठन गृह मंत्रालय के नवसृजित साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS) प्रभाग के अंतर्गत किया जाएगा।

- यह MHA में संबंधित नोडल प्राधिकरण के साथ सलाह करके साइबर अपराधों से संबंधित अन्य देशों के साथ आपसी कानूनी सहायता संधियों (MLAT) के क्रियान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करता है।

इस योजना में निम्नलिखित सात घटक होते हैं:

- राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम एनालिटिक्स इकाई (TAU)
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग
- संयुक्त साइबर अपराध जांच टीम के लिए प्लेटफॉर्म
- राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला (NCFL) पारितंत्र प्रणाली
- राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (NCTC)
- साइबर अपराध पारितंत्र प्रणाली प्रबंधन इकाई
- केंद्रीय साइबर अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र

d. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

- यह पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है जिससे साइबर अपराध के शिकार/शिकायतकर्ता ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत कर सकें।
- यह पोर्टल केवल उन साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों को लेता है जो विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के खिलाफ किये जाते हैं।
- इस पोर्टल पर की दर्ज की गई शिकायत का निस्तारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाता है।

e. साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर विश्लेषण केंद्र) की शुरुआत दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों की पहचान को करने और ऐसे प्रोग्रामों को हटाने के मुफ्त उपकरणों के लिए की गई।

f. साइबर अपराध स्वयंसेवक ढांचा

- यह एक पहल है जो साइबर स्वच्छता प्रोत्साहन का हिस्सा है जिससे देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों को योगदान देने के लिए साथ में लाया जा सके और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों की LEAs (कानून प्रवर्तन एजेंसियों) को साइबर अपराध रोकने के उनके प्रयासों में सहायता दी जा सके।
- कार्यक्रम का लक्ष्य निगरानी की संस्कृति को सक्षम बनाना है और यह अन्य नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों की रिपोर्ट करके नागरिकों के बीच में संभावित सामाजिक अविश्वास पैदा कर सकता है।
- स्वयंसेवियों को नामांकित किया जाएगा और जरूरत के अनुसार विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकरणों द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (14C)** की संकल्पना है कि साइबर अपराध स्वयंसेवी कार्यक्रम के द्वारा उन नागरिकों को लाया जाए जिनके अंदर एकल प्लेटफॉर्म पर देश की सेवा करने का जज्बा है और जो देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकते हैं।

5. केंद्र के डिजिटल कृषि प्रस्तावों से चिंताएं खड़ी हुईं

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- कृषि, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- केंद्र के डिजिटल कृषि प्रस्ताव जिन्हें **एग्रीस्टैक** भी कहा जाता है, ने किसानों के शोषण, डाटा सुरक्षा और सहमति, गलत प्रबंधित भूमि रिकॉर्डों, भूमिहीन किसानों के अलग-थलग पड़ने और कृषि के निगमीकरण की चिंता खड़ी कर दी है।

चिंता

- 91 संगठनों ने यह मांग की है कि केंद्र पाइलट परियोजना 'एग्रीस्टैक' के क्रियान्वयन को रोके जिसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और पतंजलि सहित तकनीकी और खुदरा बड़े उद्योगों के साथ साझीदारी में शुरू किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- हाल में, कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 6 राज्यों के 100 गांवों में पाइलट कार्यक्रम को चालू किया जा सके।
- यह सहमति ज्ञापन माइक्रोसॉफ्ट से उसके क्लाउड कम्प्यूटिंग सेवाओं के द्वारा 'यूनीफाइड किसान सेवा इंटरफेस' सृजित करने की अपेक्षा करता है।
- इसमें शामिल है एग्रीस्टैक (कृषि में तकनीक आधारित हस्तक्षेपों का संग्रहण) सृजित करने का मंत्रालय की योजना का प्रमुख हिस्सा, जिसपर अन्य सभी चीजों का निर्माण किया जाएगा।

एग्रीस्टैक के बारे में जानकारी

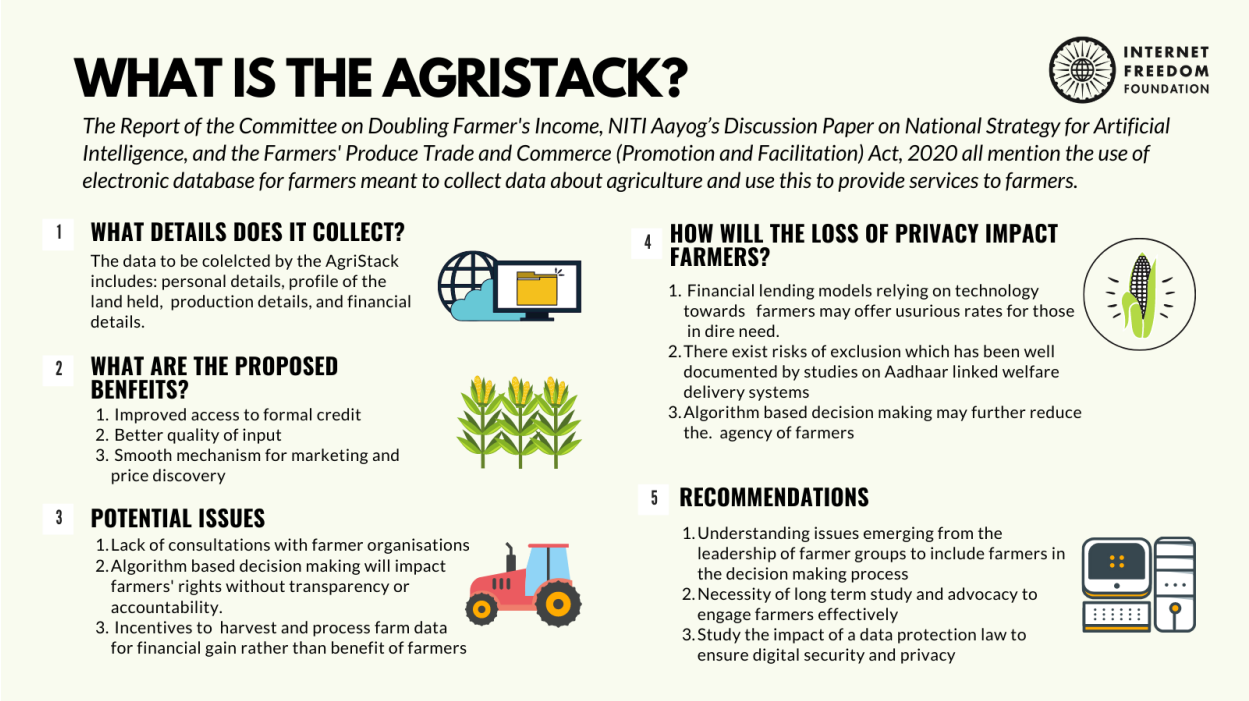

- यह तकनीकी और डिजिटल डाटाबेसों का संग्रहण है जो किसानों और कृषीय क्षेत्र पर केंद्रित है।
- यह किसानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म सृजित करेगा जिससे पूरी कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में शुरू से अंत तक सेवाओं को प्रदान किया जा सके।
- यह केंद्र के डिजिटल भारत कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारत में डाटा के डिजिटाइजेशन को और बढ़ावा देना है, जिसमें भूमि पट्टों से लेकर चिकित्सा अभिलेख तक शामिल हैं।
- सरकार राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NRLMP) का भी क्रियान्वयन भी कर रही है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक किसान के पास एक विशिष्ट डिजिटल पहचान (किसान पहचानपत्र) होगा जिसमें उसके व्यक्तिगत विवरण, जिस भूमि में वे खेती करते हैं उसके बारे में सूचना, साथ ही उत्पादन और वित्तीय विवरण भी शामिल होंगे।
- प्रत्येक पहचानपत्र व्यक्ति के डिजिटल राष्ट्रीय पहचानपत्र आधार से जुड़ा होगा।

6. NTPC ने UN बातचीत में सततता के लिए अपने ऊर्जा काम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- बिज़ीनेस स्टैंडर्ड)

खबरों में क्यों है?

- राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम (NTPC) लि. हाल में भारत में ऊर्जा क्षेत्र की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बातचीत (HLDE) के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा काम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित कर दिया।
- संयुक्त राष्ट्र सितंबर 2021 में उच्चस्तरीय बातचीत (HLD) के लिए बैठक बुलाने वाली है जिससे सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के ऊर्जा संबंधित लक्ष्यों के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **NTPC वैश्विक रूप से उन चंद संगठनों में शामिल है जिसने अपने ऊर्जा काम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है।**

खबरों में और भी है

- NTPC ने 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की 60 गीगावाट की स्थापना का लक्ष्य रखा है।
- भारत के सबसे बड़ा बिजली उत्पादक का लक्ष्य 2032 तक निवल ऊर्जा तीव्रता में 10 प्रतिशत की कटौती करना भी है।
- आगे, NTPC ने घोषणा की है कि वह 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में सततता को प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम 2 अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों/समूहों का गठन करेगा।
- कंपनी ने पूर्व में RE स्रोतों के द्वारा कम से कम 32 GW क्षमता की योजना तैयार की थी जो 2032 तक उसकी संपूर्ण बिजली उत्पादन क्षमता के लगभग 25 प्रतिशत के बराबर है।
- यह घटनाक्रम देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा जो इसे देश के हरित ऊर्जा नक्शे में ऊंचा पहुँचा देगा।

ऊर्जा काम्पैक्ट्स के बारे में जानकारी

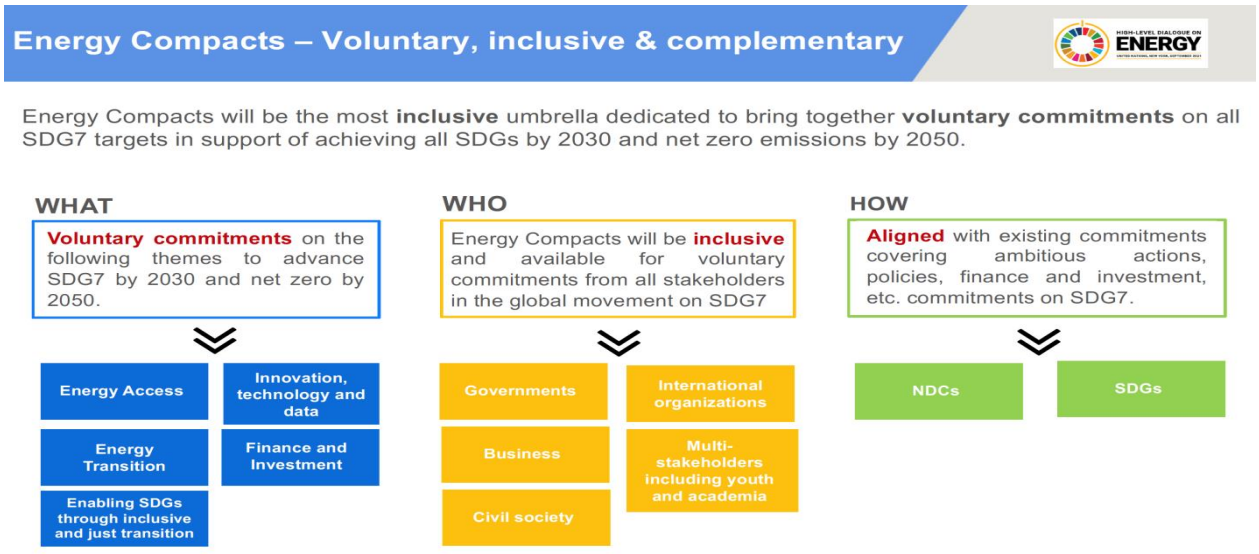

- यह प्रतिबद्धताओं और कार्रवाईयों को जोड़ने और एकीकरण करने का प्लेटफॉर्म है।

- पेरिस समझौते और SDGs के अनुरूप प्रक्षेपपथ पर SDG7 क्रिया को तीव्र करने के लिए, ऊर्जा काम्पैक्ट को **UN-ऊर्जा द्वारा गतिमान किया जा रहा है जो न्यूयॉर्क में सितंबर 2021 में ऊर्जा पर उच्चस्तरीय बातचीत का हिस्सा है।**
- यह वर्तमान कार्रवाई के दशक में गतिमान और अद्यतन रहेगा।
- ऊर्जा काम्पैक्ट्स सदस्य देशों और गैर देशीय लोगों से स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं हैं जिनमें कंपनियां, क्षेत्रीय/स्थानीय सरकारें, गैर सरकारी संगठन और अन्य शामिल हैं।
- ये हितधारक एक ऊर्जा काम्पैक्ट के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं जिसमें विशिष्ट क्रियाएं शामिल होती हैं जिसे वे SDG7 में प्रगति को समर्थन देने के लिए करेंगे।
- क्योंकि यह वहनीय है, इसलिए स्वच्छ ऊर्जा सभी SDGs और पेरिस समझौते को हासिल करने की पूर्व शर्त है, ऊर्जा काम्पैक्ट में परिभाषित क्रियाएं को सीधे राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदानों से जोड़ा जा सकता है जिसे SDG त्वरण क्रियाएं माना जा सकता है।

ऊर्जा काम्पैक्ट और राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के बीच में अंतर

- NDCs सदस्य देशों के राष्ट्रीय मौसम महत्वकांक्षाओं और लक्ष्यों को सुलझाते हैं जो पेरिस समझौते के तहत कानूनी रूप से जरूरी हैं, ये संपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था से देश के उत्सर्जन प्रोफाइल पर केंद्रित होते हैं।
- क्योंकि ऊर्जा प्रणाली देश के संपूर्ण उत्सर्जनों में ऐसी प्रमुख भूमिका अदा करती है, तो इससे NDCs को हासिल करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को सीधे समर्थन देने के वास्ते ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन करना होगा।
- **जहां, ऊर्जा काम्पैक्ट में कई तरह के स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं**, कार्रवाईयां, पहलें और साझीदारियां शामिल होती हैं, जो विशेष रूप से ऊर्जा प्रणाली और SDG7 पर केंद्रित होती हैं।
- वे SDG7 लक्ष्यों को कवर करेंगी जिसमें वे भी शामिल हैं जो देश के NDCs में परिलक्षित नहीं होते हैं, जैसे कि स्वच्छ खाना पकाने तक पहुँच।
- लेकिन, क्योंकि ऊर्जा काम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं का लक्ष्य 2030 तक वहनीय, स्वच्छ ऊर्जा को सभी को देना है, ये प्रतिबद्धताएं NDCs की संपूरक हैं।
- ऊर्जा काम्पैक्ट मूल रूप से ऊर्जा प्रणाली कदम हैं जिसे NDCs को प्राप्त करने के लिए लिया जाना है।
- वे देश जो ऊर्जा काम्पैक्ट का निर्माण कर रहे हैं अपने मौसम महत्वकांक्षाओं के साथ ऊर्जा प्रणाली रूपांतरण की अपनी योजनाओं को संरेखित कर सकते हैं, जैसा कि NDCs के तहत व्यक्त किया गया है।

सभी के खुला है

- ऊर्जा काम्पैक्ट SDG7 पर वैश्विक गति में सभी हितधारकों के लिए खुले हैं जिसमें व्यवसाय, संगठन, उपराष्ट्रीय प्राधिकरण शामिल हैं, और प्रतिबद्धताओं पर प्रगति की निगरानी के लिए इनमें वार्षिक तंत्र होंगे।

आगे पढ़ने के लिए:

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/i._updated_flyer_v._8_april.pdf

7. औद्योगिक अनुसंधान एंगेजमेंट के लिए कोष (FIRE)

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र, स्रोत- AIR)

खबरों में क्यों है?

- विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) ने हाल में अपने प्रकार की पहली अनुसंधान पहल जिसे औद्योगिक अनुसंधान इंगेजमेंट के लिए कोष (FIRE) कहा जाता है, को प्रस्तुत किया है।

SERB-FIRE के बार में जानकारी

- FIRE कार्यक्रम एक संयुक्त सरकारी और उद्योग पहल है जिसका सह वित्त पोषण तंत्र है जिससे भारत में प्रमुख अनुसंधान और विकास (R&D) संगठनों के साथ गठबंधन के द्वारा अकादमिक अनुसंधान को मजबूत किया जाता है और नवाचार वाले तकनीकी हलों को प्रोत्साहित किया जाता है।

लक्ष्य

- FIRE अपने प्रकार का अकेला गठबंधन वाली पहल है जिसका लक्ष्य भारत में अनुसंधान की संस्कृति को रुपांतरित करना और तकनीकी पारितंत्र प्रणाली को मजबूत करना है।

महत्व

- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)/मशीन लर्निंग (ML), प्लेटफॉर्म प्रणालियों, सर्किटों और आर्किटेक्टरों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), पदार्थों और उपकरणों, सुरक्षा और ऐज से लेकर क्लाउड तक के क्षेत्र में अनुसंधान अवसरों को बढ़ाएगा।
- यह मजबूत विचारों के लिए समर्थन तैयार करेगा, विशेष रूप से भविष्य के विज्ञान एवं तकनीक थिमेटिक क्षेत्रों में, और सहयोग के नए मॉडल के साथ अकादमिक दुनिया और उद्योग को साथ में लाकर विशेषज्ञता को उपलब्ध कराएगा।

विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के बारे में जानकारी

- यह भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2009 में भारत की संसद के एक कानून से हुई थी (SERB कानून, 2008)।
- इस बोर्ड की अध्यक्षता विज्ञान एवं तकनीक विभाग में भारत सरकार के सचिव द्वारा की जाती है।
- इस बोर्ड का गठन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में मूलभूत अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। साथ ही इसका उद्देश्य ऐसे अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों, अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक संस्थाओं और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है।